


नाना जाट

। बनाम ।।

रामचन्द्र ब्राह्मण वगेर

किरम मुकदमा प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए.

मुकदमा नम्बर. 04/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2020/00066	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.05.2020	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा कन्नौज पटवार हल्का कन्नौज तहसील भदोसर मे स्थित खाता संख्या 268 में अंकित आराजी 465, 1205, 1217, 1450 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 0.92 हैक्टेयर स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद रो वचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे ।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल. आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदोसर को 2000/- अक्षरे दौ हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने रतार पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी मे मौजा कन्नौज पटवार हल्का कन्नौज तहसील भदोसर में स्थित खाता संख्या 268 में अंकित आराजी 465, 1205, 1217, 1450 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमि की नक्शा बन्दोवरती अनुसार विना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करे । इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फौरन शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p>	

(अजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी